न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—149/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/149)

1. कानसिंह पुत्र मल्ला, जाति रावत निवासी मोतीसर, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. हेमराज पुत्र बाबूलाल महावर
2. पुष्करनारायण पुत्र बाबूलाल महावर
   दोनों जाति माली, निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
3. सुमन गुप्ता पत्नी देवेश्वर प्रसाद गुप्ता जाति अग्रवाल महाजन निवासी पुष्कर रोड़ अजमेर।
4. किशना पुत्र छोगा
5. बिशना पुत्र छोगा
6. सुवा पुत्र छोगा
   समस्त जाति रावत निवासी मोतीसर, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
7. एस0बी0बी0जे0बैंक शाखा पिचौलिया जरिए शाखा प्रबंधक।
8. नानी पुत्री छोगा
9. गंगाराम पुत्र स्व0 हीरा पुत्री छोगा
10. जयराम पुत्र स्व0 हीरा पुत्री छोगा
11. कैलाश पुत्र स्व0 हीरा पुत्री छोगा
12. ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 हीरा पुत्री छोगा
13. मानसिंह पुत्र स्व0 हीरा पुत्री छोगा
14. बबलू पुत्र स्व0 हीरा पुत्री छोगा
15. संतोष पुत्री स्व0 हीरा पुत्री छोगा
16. लीला पुत्री स्व0 हीरा पुत्री छोगा
    सभी जाति रावत निवासी मोतीसर तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2019 उपखण्ड अधिकारी पीसांगन, राजस्व वाद संख्या 71/2018

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सी0पी0शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02.
4. श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03.
5. श्री अरूण वैष्णव, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 07.
6. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 17.
7. रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6, 8 से 16 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—19.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा वाद संख्या 71/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 4 से 17 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया। उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण ने वाद कथनों से इंकार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने तहसीलदार पीसांगन से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जिसमें आराजी खसरा नम्बर 846/1239 पर अपीलांट कानसिंह पिता मल्ला जाति रावत का कब्जा काश्त होना व उक्त खसरा पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की तत्पश्चात आपसी संधि होने पर उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने बिना तनकियात कायम किए एवं बिना अपीलांट को पक्षकार बना सुनवाई अवसर दिए बिना गलत एवं अविधिक रूप से बिना दावा साबित हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2019 के द्वारा वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 का दावा डिक्री कर दिया। अपीलांट को इस निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2019 की जानकारी पूर्व में कभी नहीं रही अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक दूसरा दावा वास्ते बेदखली उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके नोटिस प्राप्त हुए तथा उस समय कोविड महामारी की वजह से न्यायालय बंद रहे न्यायालय खुलने की जानकारी वकील साहब के साथ दिनांक 21.6.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत वाद की जानकारी करने गया तो उक्त वाद की जानकारी हुई एवं नकल अवेदन प्रस्तुत किया तत्पश्चात वकील साहब ने सम्पूर्ण पत्रावली हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा जिस पर दिनांक 23.06.2021 को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली एवं निर्णय व डिक्री की नकल एवं अन्य दस्तावेज इकट्ठे कर रूपयों का बंदोबस्त कर दिनांक 10.7.2021 को अजमेर आया एवं वकील साहब द्वारा दी गई सलाह एवं आदेश की जानकारी से तथा उक्त निर्णय व डिक्री से अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपील अनुमति प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा वाद संख्या 71/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 3 व 7 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बरवक्त बहस उपस्थित नहीं हुए तथा ना ही लिखित बहस प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6, 8 से 16 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पीसांगन ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने का अंकन किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सुने एवं बिना कब्जे की जांच किए निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2019 से प्रार्थी के हक अधिकारों पर कुठाराघात हुंआ है प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 808 व 809 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है जिससे प्रार्थी उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित पक्षकार होने से उसे उक्त निर्णय व

Scanned with CamScanner

डिक्री के विरूद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुत की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पीसांगन ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने का अंकन किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सुने एवं बिना कब्जे की जांच किए निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसकी जानकारी पूर्व में कभी नहीं रही अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक दूसरा दावा वास्ते बेदखली उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके नोटिस प्राप्त हुए तथा उस समय कोविड महामारी की वजह से न्यायालय बंद रहे तत्पश्चात न्यायालय खुलने की जानकारी होने पर दिनांक 21.6.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत वाद की जानकारी करने गया तो उक्त वाद की जानकारी हुई एवं नकल आवेदन प्रस्तुत किया तत्पश्चात वकील साहब ने सम्पूर्ण पत्रावली हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा जिस पर दिनांक 23.6.2021 को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली एवं निर्णय व डिक्री की नकल एवं अन्य दस्तावेज इकट्ठे कर रूपए पैसों का बंदोबस्त कर दिनांक 10.07.2021 को अजमेर आया एवं वकील साहब द्वारा दी गई सलाह एवं आदेश की जानकारी से उक्त अपील अविलम्ब न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 8.6.2019 में से वादग्रस्त खसरा नम्बर 846/1239 रकबा 0.40 हैक्टर कानसिंह पुत्र मल्ला जाति रावत का कब्जा काश्त होने का स्पष्ट उल्लेख था जिससे अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना विधि अनुसार आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय को वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 3 का कब्जा काश्त नहीं होने बाबत व अपीलांट का कब्जा काश्त होने की जानकारी होने के बावजूद बिना पक्षकार बनाए व बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णय व डिक्री पारित की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने वादग्रस्त भूमि पर मौके पर अपना कब्जा होने के कथन अंकित कर वाद प्रस्तुत किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 846/1239 पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 का कोई कब्जा काश्त होना नहीं माना इसके बावजूद भी बिना कब्जे काश्त के घोषणा व दुरूस्ती की डिक्री पारित करने का निर्णय दे दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 3 का खसरा नम्बर 847, 852, 853 पर कब्जा काश्त रहा है खसरा नम्बर 846/1239 सम्पूर्ण व 847, 847/1323 एवं 848 में से 2.81 हैक्टर पर पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण कभी कब्जा काश्त नहीं रहा जो कि मौका रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने इस भौतिक व वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर बिना अपीलांट को पक्षकार बनाए तथा बिना सुने तथा बिना मौके पर कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 3 का होते हुए भी निर्णय व डिक्री पारित की है। ग्राम मोतीसर के चौसाला खसरा नम्बर 808 व 809 अपीलांट के पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि है जो राजस्थान

Scanned with CamScanner

काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व अपीलांट के पूर्वज नानू व डूंगा व उरजा व डूंगा के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है साबिक खसरा नम्बर 809 का रकबा 98 बीघा 5 बिस्वा था तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा सम्पूर्ण रकबे की जमाबंदीया व मिलान प्रस्तुत नहीं कर तथ्य छिपाते हुए दावा प्रस्तुत किया है जबकि खसरा नम्बर 808 व 809 पर सन 1359 फसली से अपीलांट के पूर्वाधिकारी व आज हाल नम्बर पर अपीलांट का कब्जा काश्त है रेस्पोडेंट जो कि क्रेता है का साबिक चौसाला खसरा नम्बर 809 के हाल खसरा नम्बर 846/1239 पर वक्त खरीद भी कब्जा काश्त नहीं था और न ही आज कब्जा काश्त है इसके बावजूद भी सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी किए बिना तथ्यों को छिपाए गए वाद में बिना कब्जा होते हुए भी उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किया कि वक्त खरीद अपीलांट के कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो या वक्त दावा दायरी उनका कब्जा काश्त हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी वाद के कथनों के विपरीत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें खसरा नम्बर 853, 852, 847/1, 848/1 व 847/1323 कुल रकबा 2.32 हैक्टर पर किशना वगैराह पिसरान छोगा का कब्जा काश्त अंकित किया तथा खसरा नम्बर 847, 848, 847/1323 कुल रकबा 2.92 हैक्टर पर सुमन गुप्ता 1/2 हिस्सा पुष्कर नारायण हेमराज पिसरान बाबूलाल 1/2 हिस्सा कब्जा काश्त व खसरा नम्बर 846/1239 पर अपीलांट कानसिंह पुत्र मल्ला का कब्जा काश्त होना अंकित कर प्रस्तुत हुई जो रेस्पोडेंट के वाद के पैरा संख्या 4 व अनुतोष के पैरा(अ) के कथनों से पूर्णतया भिन्न थी इसके बावजूद भी बिना वाद व अनुतोष व मौका रिपोर्ट को देखे एवं बिना तनकीयात कायम कर विवेचन व विश्लेषण किए उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 71/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थीया द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थीया व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम मोतीसर के साबिक खसरा नम्बर 1210 रकबा

Scanned with CamScanner

19 बीघा 17 बिस्वा के मूल खातेदार राधा बेवा हालू 1/2 हिस्सा एवं लक्ष्मण, छोटू पोखर पुत्रान बालू 1/2 हिस्सा दर्ज है। जिसमें से लक्ष्मण, छोटू, पोखर द्वारा अपने हिस्सें का बेचान नारायण सिंह व मदनसिंह पुत्रान लक्ष्मण सिंह को कर दिया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 284 दिनांक 20.4.2022 वर्किंग जमाबंदी में दर्ज है। इसी प्रकार खातेदार राधा बेवा हालू के फौत होने से विरासती नामांतरकरण संख्या 98 दिनांक 25.8.98 बेचान राजीदेवी पत्नी सुवालाल जाति गुर्जर को कर दिया गया जिसने उक्त आराजी का बेचान प्रतिवादीया संख्या 3 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया जो वर्किंग जमाबंदी लक्ष्मण सिंह द्वारा अपना क्रयशुदा 1/2 हिस्से का बेचान पृथ्क पृथ्क विक्रय पत्रों से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कर दिया गया जो वर्किंग जमाबंदी में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 100 वर्णितानुसार साबिक खसरा नम्बर 1210 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा के प्रतिवादीगण स्वभाविक क्रेता होकर खातेदार है तथा उक्त दिनांक से प्रतिवादीगण अपने क्रयशुदा हिस्से पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 1210 मिन रकबा 15 बीघा का मूल खातेदार छोगा पुत्र जोधा था जिसके फौत होने के पश्चात उनका विरासती नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 24.8.98 रूपा बेवा छोगा, किशना, बिशना व सुवा पुत्रान छोगा के नाम तस्दीक किया जाकर वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद कर दिया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात के कुल रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा में से 19 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार प्रतिवादीगण तथा 15 बीघा के खातेदार वारीगण हैं लेकिन हाल में हुए भू संशोधन के दौरान बिना भौतिक कब्जे की जांच किए प्रतिवादीगण एवं वादीगण की भूमि का मनमाने ढंग से विभाजन करते हुए मौके की कब्जा स्थिति के विपरीत जाते हुए वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दिया गया। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त करते हुए वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में इंद्राज अंकित किए जाने के आदेश प्रदान करावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

10. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने बताया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा की गई बहस ही हमारी बहस है।

11. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

12. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन की अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पीसांगन ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने का अंकन किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सुने एवं बिना कब्जे की जांच किए निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने से व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

13. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

14. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा रेस्पोडेट 4 से 17 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत संबंधित तहसीलदार पीसांगन द्वारा मौका रिपोर्ट तलब कि गई जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 8.6.2019 को मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गई जिसमें खसरा नम्बर 846/1239 रकबा 0.40 है0 बाबत कानसिंह पुत्र मल्ला/अपीलांट के कब्जे होने का अंकन किया गया है इस प्रकार से यह स्पष्ट था कि उक्त खसरा नम्बर पर अपीलांट का ही कब्जा है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अपीलांट को उक्त राजस्व वाद में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार के रूप में मुर्तिब नही कर उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 14.11.2019 पारित किया गया है। जोकि विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

15. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 71/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2019 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे कानसिंह पुत्र मल्ला जाति रावत निवासी मोतीसर तहसील पीसांगन को वाद पत्र में पक्षकार संयोजित कर, उभयपक्षों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई/जवाब का अवसर प्रदान करते हुए उक्त प्रकरण बाबत पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner